केंद्रीकृत परसिंपत्ति परिसमापन नीलामी मंच

स्रोत: बीएस

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत परिसंपत्तियों की नीलामी हेतु एक केंद्रीकृत मंच तैयार करने की योजना बना रहे हैं।

- **परिसंपत्तियों की नीलामी eBKray प्लेटफॉर्म** के माध्यम से की जाएगी, जो पिछले **पाँच वर्षों से** SARFAESI अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बंधक परिसंपत्तियों की नीलामी का संचालन** कर रहा है।
    - eBKray प्लेटफॉर्म का प्रबंधन **PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा किया जाता है, जो 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक संघ है।
- यह प्लेटफॉर्म परिसमापन मामलों में सभी परिसंपत्तियों के लिये **एकल सूचीकरण बिंदु** के रूप में कार्य करेगा, जिसके लिये **परिसमापकों से विस्तृत परिसंपत्ति जानकारी की आवश्यकता होगी।**
- **IBBI एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना IBC 2016** के तहत भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं की देखरेख तथा विनियमन के लिये की गई है।
- IBA भारत में **बैंकिंग क्षेत्र** का एक **प्रतिनिधि निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी**।
- IBC भारत में वर्ष 2016 में लागू किया गया एक विधायी ढाँचा है, जिसका उद्देश्य **व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों तथा कंपनियों** के लिये दिवाला और शोधन अक्षमता की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

और पढ़ें: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के सात वर्ष

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centralised-asset-liquidation-auction-platform